

# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0  
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ—226001  
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 92 /सो.आ.नि.—318(II)/2017  
दिनांक: 17 मई, 2017

प्रेषक,

निदेशक,  
सोशल आडिट,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बस्ती तथा मऊ को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश।

विषय: वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों का गठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 58 /सो.आ.नि.—318(II)/2017 दिनांक 02–5–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों के गठन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा—निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त पत्र के प्रस्तर–2 में जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन—पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि 20 मई, 2017 निर्धारित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त, जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन—पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि 20 मई, 2017 के स्थान पर 27 मई, 2017 निर्धारित की जाती है। तदनुसार, समाचार—पत्रों में विज्ञाप्ति प्रकाशित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों के गठन के हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले आवेदन पत्रों को जिला विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक 27 मई, 2017 तक प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवर्धन)  
निदेशक।

प्रतिलिपि :—

निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग—7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजवर्धन)  
निदेशक।